THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) and (b) The Government has rescinded the Deep Sea Fishing Policy of 1991 under which operation of deep sea fishing vessels were allowed under joint venture, lease and test fishing.

(c) and (d) Action has been initiated for formulation of a new deep sea fishing policy. The Indian owned deep sea fishing vessels arc being allowed to operate in the existing areas as per the recommendation of the Review Committee on deep sea fishing policy. The Govt, has also approved a rehabilitation package for Indian owned deep sea fishing vessels.

Prohibiting fishing by foreign companies of the Maharashtra coast

1331. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government had received a communication sometime during the last quarter of 1996, requesting for prohibiting fishing by foreign companies off the Maharashtra coast;

(b) if so, the action taken by Government thereon; and

(c) if no action has been, taken so far the reasons therefor and by when the same is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Communications were received for prohibiting deep sea fishing off the Coast of Maharashtra during the monsoon season, on the same lines as had been done in respect of the Kerala Coast.

(b) and (c) The Government had ban ned fishing by deep sea fishing vessels in the EEZ off the coast of Maharashtra from 31st July, 1996 upto 28th August, 1996, corresponding with the ban imposed by Maharashtra Government during the same period for mechanised fishing trawlers in coastal areas.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1332. **श्री राम जेठमलानी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न अंचलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र जिला-वार और राज्य-वार कहां –कहां स्थित है,

(ग) उनकी औसत वार्षिक क्षमता कितनी है,

(घ) अब तक उद्योगों की स्थापना करने हेतु कितने व्यक्तियों को वर्ष –वार प्रशिक्षण दिया गया है, और

(ड) उपरोक्त में से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन में अनुमानतः कितना वार्षिक खर्च होता है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ख) मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत राज्य सरकार के संगठनों/स्वंयसेवी संगठनों संगठनों सहकारिताओं आदि को खाद्य रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है ॥ आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वार वर्षो के दौरान देश के विभिन्न भागों में ऐसे 204 केन्द्रों की स्थापना करेन हेतु सहायता दी गई है। स्थान के उल्लेख सहित केन्द्रों की सूची संलग्र है । (नीचे देखिए)

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र बैचों में प्रशिक्षण देते हैं और बैचों की संख्या तथा प्रत्येक बैच में प्रशिक्षुओ की संख्या प्रसंस्करण हेतु प्रस्तावित उत्पादों के प्रकार पर निर्भर करने के कारण अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 2000 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है

(ड़) हमारी स्कीम के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को एक/बहु उत्पाद तैयार करने के लिए क्रमशः 2.00/7.05 लाख रू. का एक मुश्त अनुदान और मूल पूजी के रूप में एक/दो लाख रू. की सहातयात दी जाती है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसधांन सस्थान (सी. एफ.टी.आर.आई) मैसूर या अन्य किसी अनुमोदित संस्थान में से किसी में भी प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण एंव प्रशिक्षण केन्द्र का

उनके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि को ध्यान में रखते हुए 50000 रू0 तक की सहायता भी उपलब्ध है।

विवरण

वर्ष 1992-93, 93-94, 94-95 **एवं** 95-96 **के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एंव प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा** :

क्र.सं	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रज्ञि-क्षण केन्द्रों की संख्या	स्थान जहां खाद्य प्रसंस्करण एंव प्रशिक्षण केन्द्र स्थित है
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	रालोवारम् जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश)
2.	आसाम	21	यलवारी (गुवाहाटी), नांगाव, जोरहाट, सिबसेगूर, तिश्सुकिया, सिलचर, कटेकराझार, मंगलाई, बोपडा, चंद्रपुर, बगियाना, तेजपुर, जगी, तपालपुर, धिंग, रंगल्या, डुबरी, हाउती, बेलटोला (गुवाहटी), मजगांव जिला, टोपाटोली सोना पुर, चमाटी, चमाटा
3.	अरूणाचल प्रदेश	2	पश्चिम सियांग जिला, ठायमुख
4.	बिहार	19	पटना-3, रांची, आंगरा, गुमला -2, गोतरा, तीरपा-2, दुमका, साहिबंगज, लुम्बई, बाराडवारी, चांडिल, भण्डारा, बक्रधरपुर, आसनसोल, देवधर
5.	दिल्ली	2	दिल्ली कैट, बुराडी गांव (दिल्ली)
6.	गोवा	1	गोवा के.वी.आर. बोर्ड
7.	गुजरात	3	गादेवी, जूनागढ, बारदोली
8.	हरियाणा	9	करनाल-2, मुरथल, अम्बाला, सिरसा, नारनौल, सोनीपत, गुडगांव -2
9.	हिमाचल प्रदेश	5	शोगी, कटराइल, कलपा, बुन्तेर, शिमला हिला
10.	जम्मू और काश्मीर	7	कथुआ, कुपवाडा, पुलवामा, राजौरी अनन्तगान, श्रीनगर -2
11.	कनार्टक	10	बेलगांव – 3, बिडार, हब्बल, जुलकोटी, अतभवी, गुलबर्म, गोनीकोपल, मुडीगार
12.	केरल	5	वेलयानी, वेलानीकारा, चंगनचेरी, कन्नूर , नरीकूनी
13.	महाराष्ट्र	3	धानू नासिक, वर्धा
14.	मध्य प्रदेश	5	भोपाल, जबलपुर-3, सतपुडा
15.	मणिपुर	1	पोरोमपट
16.	मिजोरम	7	आइजोल, साइंग, वाइरेंगटा, कावजाल, चिंगचिप, लुगलेई, लान-गुलाई

17.	मेघालय	1	शिलांग
18.	नागालैंड़	2	कोहिमा, दीमापुर
19.	उड़ीसा	33	नयागढ़-2, केन्द्रपारा, जिला, गजपति, लक्ष्मीपुर, पोनचड़ा, टंगरपाली, गांधीनगर, तिकरपाडें, कालाहांडी, काशीहरपुर, तसगोंविन्दपुर, सुदरगढ़, कोएझार, टोयापुर, ओडियापेन्टा, आश्रमयगढ़, भुवानी, मुनिडा, पानपोश, डेंकनाल, सिंगमापुर, वालागीर, वालासोर, कटक, पुरी-2, गंजम, सम्बलपुर, सनकुमारी, देवीद्वार, महिमागढ़ी
20.	पजांब	2	चोनीकला (जिला होशियारपुर) पटियाला
21.	राजस्थान	2	जयसमंद, उदयपुर
22.	तमिलनाडु	13	तिरूपतर (तमिलनाडु) मद्रास, थिरूचेनगूड्ड, मदुरै-2, समाथुवापूरम, पलानीआप्पानगर, वालुथारेड्डी, त्रिची वलिंग –टन डमाच्किलम, चेंगई (एम.जी.आर. जिला) सिवा गंगई
23.	त्रिपुरा	2	अगरतला -2
24.	उत्तर प्रदेश	38	रामनगर, रामगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, इलिया, मथूपुर, अभेठी-2, हलदानी, गाजीपुर, हरदोई, इलाहाबाद -3 लखन-ऊ 5, मेरठ, सहारनपुर, चैल, सहारनपुर, फैजाबाद-2 रानीखेत, फतेहगढ़, दहोइला, मऊ, अशोकपुर, फाफामऊ गांव, सोनभद्र, लालगोपालंगज गांव ।
25.	पिश्चम बगांल	10	बरूईपुर, माल्दा -2 हावड़ा, वर्धवान, उत्तर -24 परगना, झारप्राम, बेलपथरी, दक्षिणी 24 परगना, इचापुर

204

Revival of sick decpa-sca filshing vessels

1333. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what specific steps Government propose to take during 1997-98, to assist the sick India-owned fishing vessels in Vishakhapatnam;

(b) whether it is a fact that Government have ignored this sector; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to revive such sick deep-sea fishing vessels during 1997-98?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) to (c) A Technical Committee, headed by Shri P Murari, former Secretary to the Government of India, was appointed by the Government to suggest corrective measures for revival of sick deep sea fishing units. The